<u>प्राथमिकता</u>

<u>संख्या-03/2018/173/38-3-2018/21/2016</u>

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 24 जनवरी, 2018

विषय:-अनुदान संख्या-13 लेखाशीर्षक ''2515'' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये किये गये प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष नया वाहन क्रय करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्रांक-87/बजट अनु0/वाहन/2017-2018 दिनांक 24.01.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-02/2018/08/38-3-2018/21/2018 दिनांक 23 जनवरी, 2018 के प्रस्तर-2(1) में उल्लिखित ''लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-04 विकास आयुक्त(मुख्यालय)-14 मोटर गाडियों का क्रय'' को संशोधित करते हुये ''लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-03 विकास आयुक्त (मुख्यालय)-14 मोटर गाडियों का क्रय'' किया जाता है।

2- कृपया उक्त शासनादेश संख्या- 02/2018 /08 /38-3-2018 /21 /2018 दिनांक 23 जनवरी, 2018 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।

तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
लाल धीरेन्द्र राव
उप सचिव।

<u>संख्या-03/2018/173(1)/38-3-2018-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- संयुक्त विकास आयुक्त, झांसी।
4- संबधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
5- संबंधित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- अपर आयुक्त, (प्रशासन) ग्राम्य विकास, 10 वॉ तल जवाहर भवन लखनऊ।
9- अपर आयुक्त(वित्त) कार्यालय, आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राम केशर यादव
अनु सचिव।